रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33001/98

REGISTERED NO. D. L.—33001/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 15, 1998/श्रावण 24, 1920

No. 13] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 15, 1998/SRAVANA 24, 1920

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश

Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

P.O. 251
K.M. 10
Deph— 1
GPB 240
COMPLETED
पूरा कर दिया गया है।

रक्षा मंत्रालय

(अनुसंधान और विकास विभाग)

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 1998

का.नि.आ. 100.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, 1979 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा (संशोधन) नियम, 1998 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. उक्त नियमों के नियम 8 में खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) वैज्ञानिक "ख" श्रेणी की 90 प्रतिशत रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा या ऐसे उपयुक्त अधिकारियों के प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा या संविदा पर या आमेलन द्वारा, जिन्हें प्रतिनियुक्ति या संविदा पर नियुक्त किया गया है और 10 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा या ऐसे उपयुक्त अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति या संविदा पर या आमेलन द्वारा, जिन्हें प्रतिनियुक्ति या संविदा पर नियुक्त किया गया था, भरी जाएंगी। ऐसा व्यक्ति, जो ज्येष्ठ तकनीकी सहायक या तकनीकी अधिकारी "क" या तकनीकी अधिकारी "ख" का पद धारण किए हुए हैं और जिसने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जिसके पास अनुसूची 3 में वैज्ञानिक "ख" के पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं हैं, उक्त परीक्षा में बैठने का पात्र होगा और इसमें कोई अधिकतम आयु-सीमा नहीं होगी। किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में पांच से अधिक बार सम्मिलित होने की अनुज्ञा तब तक नहीं दी जाएगी जब तक वह ऐसे अपवादों में से किसी के अन्तर्गत न आता

Attested.

Asstt Controller (Business)
Govt of India
Department of Publication
Civil Lines, Delhi-54

हो, जो समय-समय पर सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किए जाएं ।

[सं. डी.आर.डी.ओ./76205/एम.पी.डी.]

एन० सी० एस० नेगी, अवर सचिव

पाद टिप्पण :—रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा नियम भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 4 में का०नि०आ० 8 तारीख 30 दिसम्बर, 1978 द्वारा प्रकाशित किए गए थे । मूल नियम का०नि०आ० 307 तारीख 10 अक्तूबर, 1980, का०नि०आ० 196 तारीख 02 अगस्त, 1982, का०नि०आ० 159 तारीख 05 मई, 1983, का०नि०आ० 176 तारीख 07 अगस्त, 1984, का०नि०आ० 228 तारीख 13 नवम्बर, 1984, का०नि०आ० 170 तारीख 12 जुलाई 1985, का०नि०आ० 186 तारीख 02 अगस्त 1985, का०नि०आ० 228 तारीख 06 जून 1986, का०नि०आ० 158 तारीख 04 मई 1987, का०नि०आ० 328 तारीख 25 सितम्बर 1990, का०नि०आ० 11 तारीख 10 अगस्त 1990, का०नि०आ० 1 तारीख 04 जनवरी 1991, का०नि०आ० 33 तारीख 17 जनवरी 1991, का०नि०आ० 74 तारीख 05 मार्च 1991, का०नि०आ० 146 तारीख 04 जुलाई 1991, का०नि०आ० 74 तारीख 24 मार्च, 1992, का०नि०आ० 125 तारीख 29 मई, 1992, का०नि०आ० 157 तारीख 26 अगस्त 1994, का०नि०आ० 34 तारीख 08 मार्च 1996, का०नि०आ० 33, तारीख 2 फरवरी 1998 द्वारा संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Research and Development)

New Delhi, the 30th July, 1998

S.R.O. 100.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Defence Research and Development Service Rules, 1979, namely :—

1. (1) These rules may be called the Defence Research and Development Service (Amendment) Rules, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 8 of the said rules, for clause (a), the following clause be substituted namely :—

"(a) Ninety per cent vacancies in the grade of Scientist 'B' shall be filled by direct recruitment or by transfer on deputation or on contract or by absorption of suitable officers who were appointed on deputation or contract and ten per cent through limited departmental competitive examination failing which by direct recruitment or on deputation or contract or by absorption of suitable officers who were appointed on deputation or contract. Any person holding the post of Senior Technical Assistant or Technical Officer 'A' or Technical Officer 'B' and having five years regular service and other technical personnels in the lower grades with ten years regular service in Defence Research and Development Organisation and possessing the educational qualifications prescribed for the post of Scientist 'B' in Schedule III shall be eligible to appear at the said examination for which there shall be no upper age limit. Unless otherwise specified by the Government in this behalf, no candidate shall be allowed to avail of more than five chances at the said departmental examination."

[No. DRDO/76205/MPD]

N. C. S. NEGI, Under Secy.

Foot Note—The Defence Research and Development Service Rules published in the Gazette of India Part II, Section 4, vide S.R.O. 8 dated the 30th December, 1978, have been amended vide S.R.O. 307 dated the 10th October, 1980, S.R.O. 196 dated the 2nd August 1982, S.R.O. 159 dated the 5th May 1983, S.R.O. 176 dated the 7th August 1984, S.R.O. 228 dated the 13th November 1984, S.R.O. 170 dated the 12th July, 1985, S.R.O. 185 dated 2nd August 1985, S.R.O. 228 dated the 6th June 1986, S.R.O. 158 dated 4th May 1987, S.R.O. 328 dated the 25th September 1987, S.R.O. 11-E dated the 10th August 1990, S.R.O. 1 dated the 4th January 1991, S.R.O. 33 dated the 17th January 1991, S.R.O. 74 dated the 5th March 1991, S.R.O. 146 dated the 4th July 1991, S.R.O. 74 dated the 24th March 1992, S.R.O. 125 dated the 29th May 1992, S.R.O. 157 dated the 26th August 1994, S.R.O. 34 dated the 8th March 1996 and S.R.O. 33 dated the 2nd February 1998.

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1998

का०नि०आ० 101.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, दक्षिण कमान द्वारा कर्नल एम० एस० बिसला का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड, कामठी में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है ।

[फा० सं० 19/35/कामठी/सी/डीई/93/2539/98/डी (क्यू एण्ड सी)]

डी. आर. मेहरा, अवर सचिव

New Delhi, the 16th July, 1998

S.R.O. 101.—In pursuance of Sub-section (7) of Section 13 of the Cantonment Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Kamptee by reason of the acceptance by the General Officer Commanding-in-Chief, Southern Command of the resignation of Col. M. S. Bisla.

[F. No. 19/35/Kamptee/C|DE|93|2539|98|D(Q&C)]

D. R. MEHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1998

का०नि०आ० 102.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर, कामठी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (च) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेजर प्रवीन चन्द्र को छावनी बोर्ड, कामठी का सदस्य मनोनीत किया है । यह मनोनयन कर्नल एम० एस० बिसला के स्थान पर किया गया है जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है ।

[फा. सं. 19/35/कामठी/सी/डीई/93/2539/98/डी (क्यू एण्ड सी)]

डी. आर. मेहरा, अवर सचिव

Attested

21207

Asstt Controller (Business)
Govt of India
Department of Publication
Civil Lines, Delhi-54